रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1993/भाद्र 24, 1915
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 1993/BHADRA 24, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1993

फा. सं. ए-12022/1/93-पी ई-I:—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 14-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कमाडोर एम एस भावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपने कार्य के अतिरिक्त अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास में कार्य करने के लिए 31 जुलाई, 1993 से तीन महीने तक या स्थाई पदाधिकारी अपना पद ग्रहण करें, जो भी पहले हो, तक नियुक्त करती है ।

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1993

F. No. A. 12022|1|93-PE.I.—In exercise of the powers conferred by Section 14-A read with Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Cdre. S. S. Bawa, CMD, Cochin Shipyard Limited to act as Chairman, Cochin Port Trust in addition to his own charge w.e.f. 31-7-93, for a period of 3 months or till regular incumbent joins whichever is earlier.

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993